भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1959
सोमवार, 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

1959. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) गत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु में इस योजना के तहत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के तहत नामांकित लोगों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के तहत अब तक लाभान्वित हुए लोगों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इसने सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-**19** महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला वह कर्मचारी, जो 1 अक्तूबर, 2020 से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहा था, लाभ हेतु पात्र होगा। वे कर्मचारी, जो कोविड-19 महामारी वे दौरान अपना रोजगार गंवा चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे, वे भी लाभ के लिए पात्र हैं।

- भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान 2 वर्ष के लिए वहन कर रही है।

- यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से आरंभ की गई है और पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए 31 मार्च 2022 तक चालू रहेगी।

(ख) से (ङ): एबीआरवाई के तहत, निधियों का कोई विशिष्ट राज्य-वार आवंटन नहीं है। इस योजना के तहत सभी पात्र प्रतिष्ठानों को लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के तहत इसकी शुरूआत से अब तक तमिलनाडु राज्य में उपयोग की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	लाभ की राशि (करोड़ रुपये में)
2020-21	38.92
2021-22 (28.02.2022 को)	412.14

एबीआरवाई के तहत, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए लाभार्थी के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। इस योजना के तहत 28.02.2022 को 50.81 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। यह योजना 31.03.2022 तक पंजीकरण के लिए खुली है।

*****